अनुदान संख्या 70 – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 70–MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2867,81,00	23450,84,00	23386,88,34	–63,95,66
पूरक	Supplementary	20583,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				63,90,18

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	1081.00	1005.82	1000.17	–5.65
पू.	S.	33.00			
पु.	R.	–108.18			
मुख्य शीर्ष "2802" पेट्रोलियम	Major Head "2802" Petroleum				
मू.	O.	285700.00	2337688.00	2337688.17	+0.17
पू.	S.	2058270.00			
पु.	R.	–6282.00			

(I) अगस्त, 2007 में प्राप्त किया गया 1.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय'' - 1081.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 33.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1114.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 113.83 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और कम मांग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम को सदस्यता शुल्क की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2802'' - ''सामान्य - तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता - घरेलू एलपीजी और पीडीएस कैरोसीन पर आर्थिक सहायता'' - 265000.00 लाख रु. के मूल प्रावधन को 2884.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 267884.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3824.05 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) एलपीजी की कम बिक्री होने और किमिन, मूलखंज एवं सेकमई, इलयांगुडी में नए बोतल भरण संयंत्र के लिए आर्थिक सहायता की दरों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2802'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''तेल विपणन कंपनियों को आर्थिक सहायता'' -

(क) ''सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए खुदरा उत्पादों पर भाड़ा सहायता'' - 172.75 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मार्च, 2008 के लिए लेखापरीक्षित भाड़ा सहायता बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्राकृतिक गैस की पूर्ति के लिए तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता'' - 872.84 लाख रु. की बचत (16000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक मूल्य तंत्र गैस बिक्री में कमी

(I) Supplementary provision of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2007 remained wholly unutilised under one head.

(II) Supplementary grant obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 remained wholly unuitlised under the following major heads as shown against each:-

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Petroleum and Natural Gas" – the original provision of Rs.1081.00 lakhs was augmented to Rs.1114.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.33.00 lakhs. However, there was a saving of Rs113.83 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and less payment of membership fee to International Energy Forum owing to less demand.

(B) Major Head "2802" – "General – Subsidy to Oil Marketing Companies - Subsidy on domestic LPG and PDS Kerosene" - the original provision of Rs.265000.00 lakhs was augmented to Rs.267884.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2884.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.3824.05 lakhs (including supplementary grant) - due to less LPG sales and non-finalisation of subsidy rates for new Bottling Plants at Kimin, Mualkhang and Sekmai Illyangudi.

(III) Under Major Head "2802" -"General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(a) "Freight subsidy on retail products for far flung areas" - saving of Rs.172.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-receipt of audited freight subsidy bills for March, 2008.

(b) "Subsidy to Oil Companies for supply of Natural Gas to North Eastern Region" – saving of Rs.872.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16000.00 lakhs) was due to less claim of subsidy owing to

आने की वजह से आर्थिक सहायता के कम दावे प्राप्त होने और आयल इंडिया लि. के उपभोक्ताओं द्वारा गैस न उठाए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड'' - 1255.19 लाख रु. की बचत (नवम्बर, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1501.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोर्ड के पूरी तरह से क्रियाशील न होने की वजह से स्टाफ की भर्ती न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''पेट्रोलियम प्रयोगशाला के लिए संस्था'' - 156.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशाला के लिए मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति न किए जाने और जांच के लिए कम नमूनों के प्राप्त होने के कारण हुई।

drop in Administered Price Mechanism gas sales and non-upliftment of gas by consumers of Oil India Ltd.

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Petroleum Regulatory Board" - saving of Rs.1255.19 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1501.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in November, 2007) was due to non-recruitment of staff owing to board being not fully functional.

(b) "Society for Petroleum Laboratory" – saving of Rs.156.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipment for the laboratory and receipt of less samples for testing.